

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन आवेदन संख्या -115/2013/जालौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स केवलचन्द एण्ड कम्पनी, सांचौर।

मैसर्स विष्णु एजेन्सीज, जालौर।

एम.एस.एल मार्केटिंग, लि., ।

.....प्रत्यर्थीगण

उपस्थित:-

श्री डी.पी.ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

अपीलार्थी की ओर से ।

अनुपस्थित ।

अनुपस्थित ।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य


आदेश दिनांक : 20.05.2014

निर्णय

उक्त परिशोधन आवेदन पत्र अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, जालौर द्वारा अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा अपील संख्या 1076, 1077 व 1078/2012/जालौर में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र, उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अभिकथनों व रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया । उक्त पारित आदेश में टंकण त्रुटि के कारण मैसर्स एम.एम.एल.मार्केटिंग लि, अंकित हो गया है जबकि उक्त मैसर्स विष्णु एजेन्सीज, जालौर अंकित होना चाहिये था। अतः उक्त पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 के प्रथम पृष्ठ में संशोधन किया जाकर मैसर्स एम.एम.एल.मार्केटिंग, लि., के स्थान पर मैसर्स विष्णु एजेन्सीज जालौर किया जाता है, जिसे उक्तानुसार ही पढ़ा जावे। शेष निर्णय यथावत रखा जाता है ।

परिणामतः, उक्त बिन्दु के संबंध में अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, जालौर द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है ।

  
20.5.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य